झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश संख्या :– 5/आरोप–1–160/2014 का० ...3797..... /राँची, दिनांक ...10 मई, 2016

स्व0 बैजनाथ राम, तत्कालीन अंचल अधिकारी, लेस्लीगंज, पलामू के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0–16/2002, दिनांक–04.03.2002 दर्ज किये जाने के संदर्भ में विभागीय आदेश सं0–2607, दिनांक–20.04.2002 द्वारा इन्हें हिरासत में लिए जाने की तिथि (दिनांक–05.03.2002) से निलंबित किया गया था एवं विभागीय आदेश सं0–837, दिनांक–14.02.2003 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया था।

2. उक्त कांड से संबंधित विशेष वाद सं0–17/2002, दिनांक–21.01.2016 में माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो), पलामू द्वारा दिनांक–21.01.2016 को पारित न्यायादेश में श्री राम की मृत्यु हो जाने के कारण कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है।

3. उक्त न्यायादेश के आलोक में एवं श्री राम की मृत्यु हो जाने के कारण विषयगत मामले को संचिकास्त किया जाता है तथा श्री राम के उक्त निलंबन अवधि (दिनांक–05.03.2002 से दिनांक–14.02.2003) को सेवा संहिता के नियम–97 के तहत् कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह० 10.5.16

(दिलीप तिर्की)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–160/2014 का० ...3797......... /राँची, दिनांक ....10.... मई, 2016

प्रतिलिपि– विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह० 10.5.16

सरकार के उप सचिव।